


कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ०ग०)
//श्रुतलेख परीक्षा (ईमला टेस्ट) के संबंध में निर्देश//

क्रमांक/ 18 /चयन समिति/2024

कोण्डागांव दिनांक 13.02.2025

कुटुम्ब न्यायालय, कोण्डागांव में आदेशिका वाहक की सीधी भर्ती हेतु श्रुतलेख परीक्षा (ईमला टेस्ट) के लिए अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का 10 मिनट में 200 शब्दों का श्रुतलेख परीक्षा (ईमला टेस्ट) लिया जावेगा। श्रुतलेख परीक्षा (ईमला टेस्ट) में प्रत्येक अशुद्धि या छूटे हुए शब्द के लिए 1/2 (आधा) अंक काटा जावेगा। एक पूर्ण शब्द में कोई भी मात्रात्मक अशुद्धि होने पर पूरा शब्द गलत माना जावेगा। जैसे-**आदेशिका** शब्द के स्थान पर **आदेशिक** या **आदेशीका** शब्द लिखे जाने, **वाहक** शब्द के स्थान पर **वहक** या **वहाक** शब्द लिखे जाने, **न्यायालय** शब्द के स्थान पर **न्यालय** या **न्यायलय** शब्द लिखे जाने पर शब्द को गलत मानते हुए 1/2 (आधा) अंक काटा जावेगा। अभ्यर्थियों को श्रुतलेख नीले बाल पाईट पेन से लिखना होगा।



अध्यक्ष

चयन समिति

कुटुम्ब न्यायालय कोण्डागांव छ०ग०